

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

‘ ‘स्वच्छता संकल्प देश का हर र ववार वषेश सा’ ’ के तहत ईष्वर नगर के रहवा सयों को कचरा पृथक्कीकरण हेतु कया प्रेरित नागरिकों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण

रतलाम 15 मार्च । भारत सरकार आवास और षहरी मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छता से संबंधित जनअभियान के तहत साप्ताहिक मेगा ईवेंट स्वच्छता संकल्प देश का हर र ववार वषेश सा’ ’ के तहत ईष्वर नगर के रहवा सयों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु जागरूक कये जाने के लये व भन्न गति व धर्यों को आयोजन कया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 14 मार्च र ववार को ईष्वर नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य अधकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े श्री करण चौहान व नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा साप्ताहिक मेगा ईवेंट स्वच्छता संकल्प देश का हर र ववार वषेश सा’ ’ के तहत अलग करो कचरा उत्सर्जन स्थल पर ही कचरा पृथक्कीकरण के बारे में नागरिकों को अवगत कराया गया।

नागरिकों को कचरा पृथक्कीकरण के बारे में बताया गया क गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात् पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरो व दुकानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देवें।

इस अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण ष वर का आयोजन किया गया जिसमें 2 दर्जन से अधिक नागरिकों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वास्थ्य लाभ दिया।

वार्ड क्रमांक 20 व 44 को भी बनाया जीरो वेस्ट वार्ड

नगर के वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने का कार्य निरंतर जारी

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिकों का मल रहा भरपुर सहयोग

रतलाम 15 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम

श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के

निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड

क्रमांक 3ए 7ए 8ए 14ए 17ए 18ए 19 व 41 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है

वहीं स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही

रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। नगर के

वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत 15 मार्च सोमवार से वार्ड

क्रमांक 20 व 44 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जाकर कार्य प्रारंभ कर

दिया गया है।

जीरो वेस्ट वार्ड 3ए 7ए 8ए 14ए 17ए 18ए 19ए 20ए 41 व 44 में 2.2 कचरा

संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पंहूचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व

सहायता समूह रैग पकर्स महिलाएं आई.ई.सी. टीम के सदस्य व वार्ड

पर्यवेक्षक व दरोगा व इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर

जाकर नागरिकों से गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम

के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये

गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा

कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग

पकर्स महिलाएं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के

लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे^३ चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से

प्लास्टिक व रबर व बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को

वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने

के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम

मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रिनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबं धत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये।

नाकोड़ा व अ मत टे^a डर्स से 51 कलो पॉलीथीन जब्त

5000 व 5000 का कया जुर्माना

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधत

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

रतलाम 15 मार्च । षासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधत कये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

करमदी रोड क्षेत्र में नाकोड़ा टे^a डर्स से 40 कलो व जावरा रोड क्षेत्र में अ मत टे^a डर्स से 11 कलो 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन द्वारा जब्त की जाकर संबं धतों पर 5000 व 5000 का जुर्माना कया।

इसके अलावा गंदगी करने व 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन उपयोग करने पर चौपड़ा नमकीन हाकमवाड़ा पर 3000ए यष करमदी रोड पर 1000ए साहू भाई करमदी रोड व राजकुमार डस्पोजल धानमण्डी पर 500.500ए राहूल हरमाला रोड पर 250ए क वताए ममता महलवाड़ाए कालूरामए अ मत दीनदयाल नगर व दो अन्य पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कया

गया। उक्त स्पॉट फाईन की कार्यवाही में कुल 73 कलो पॉलीथीन जब्त की गई।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह एंड झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़े उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वराट मेहरा के अलावा मनोज टांकए पवन झांझोटए आकाष षन्देए राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के वरुद्ध जुर्माना कये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

चौमुखी पुल प्याऊ के पास आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर नागरिकों ने 52ए64ए144ए संपत्तिकर व 11ए89ए835ए जलकर जमा कराया रतलाम 15 मार्च । नागरिकों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबंधित भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000ए व जलकर 6ए000ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000ए व जलकर 55ए775ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विंरि में संपत्तिकर 2ए38ए000ए व जलकर 49ए010ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000ए व जलकर 43ए670ए ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000ए व जलकर 29ए280ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000ए व जलकर 19ए850ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000ए व जलकर 48ए220ए मारनिंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000ए व जलकर 14ए000ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000ए व जलकर 86ए540ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000ए व जलकर 3ए76ए905ए डोंगरे नगर ष वर

में संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ए हाट रोड ष वर में
संपत्तिकर 68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी ष वर में
संपत्तिकर 1ए17ए000६ व जलकर 22ए680६ए राजेन्द्र नगर ष वर में
संपत्तिकर 1ए01ए644६ व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर ष वर में
संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ए वेदव्यास कालोनी ष वर में
संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए71ए025६ए कल्याण नगर ष वर में
संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए दीनदयाल नगर ष वर में
संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ए बोहरा बाखल ष वर में
संपत्तिकर 4ए92ए000६ व जलकर 66ए715६ए रामगढ़ ष वर में संपत्तिकर
1ए60ए000६ व जलकर 34ए340६ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ष वर में
संपत्तिकर 2ए30ए000६ व जलकर 44ए230६ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर
2ए07ए000६ व जलकर 33ए940६ए जूनि कोर्ट करण टोंकज ष वर में
संपत्तिकर 1ए84ए000६ व जलकर 56ए350६एआनन्द कालोनी ष वर मे
संपत्तिकर 86ए000६ व जलकर 35ए140६ए प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर
1ए16ए000 व जलकर 57ए670६ए महावीर नगर ष वर में संपत्तिकर 69ए000६
व जलकर 21ए185६ए पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर 3ए50ए000६ व जलकर
66ए865६ए चौगानिया भेरू मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 1ए15ए000६ व
जलकर 25ए865६ए सायर चबुतरा ष वर में संपत्तिकर 93ए000६ व जलकर
30ए620६ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांें ने अब तक
आयोजित ष वरों मेेें 52ए64ए144६ संपत्तिकर व 11ए89ए835६ जलकर की
रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 43
व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक
41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए
34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंद्रल बैंक के पासए वार्ड
क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड
क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड
दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा
नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सुवधा के लिए आयोजित कये गये हैं इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।।

अनुपस्थित 32 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 15 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डों में 13 मार्च शनिवार को बिना सूचना के 22 व 14 मार्च र ववार को बिना सूचना के 10 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

728 मवेश्यों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 15 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेश्यों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेश्यों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 13 मार्च तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 728 मवेश्यों को पकड़ा जाकर जिले की

व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभयान के तहत 13 मार्च शनिवार को कल्याण नगर व अमृत सागर कालोनी से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह एं झोन प्रभारी श्री करण चौहान एं श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें रतलाम 15 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में नाले-नालयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय एं उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहरा एं उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं.

7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में नाले-ना लयों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 15 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 15 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की

सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 15 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4
डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही
है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 15 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो
क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के
तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के
सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले
द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात
कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़
की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा
डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्ताए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए
पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए
घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए
सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन
तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए
मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने
घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर
निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा
पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या
दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में
कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर
निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न
स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व

गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/15ण03ण2021ध्व.पा.निगमए रतलाम.